

5/8/2024 पत्र पेश हुई। वक्तु. उपरि प्रार्थी का प्रार्थना-
पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान
कायदाकारी अधिनियम सिद्ध न होने के
कारण खारिज किया जाता है। निर्णय
सूचक से लिखवाया गया।

पत्रावली कुशल कुमार होकर
नम्बर से कुम की पार्कर दाखिल
दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी,
नदबई (मराठपुर)

